

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 1186 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, 05/12/2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय-

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि०मी० 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु के सम्बन्ध में।

PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/146204/2021

सन्दर्भ-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/17/2022/ एफ०सी०/1009 दिनांक 03.11.2023.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2745/12-1 दिनांक 30.11.2023 से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा चाही गई आख्या अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर चमोली ने पत्र सं० 1841/1सर०(वन) दिनांक 29.11.2023 से प्रभागीय कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है-

| क्र | भारत सरकार द्वारा चाही सूचना | आख्या |
|-----|---|--|
| 1 | प्रस्तावित मार्ग मात्र एक गांव को जोड़ रहा है जहां यातायात की मात्रा बहुत कम होगी, राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह मार्ग की चौड़ाई कम करते हुये कम वन क्षेत्र एवं वृक्षों को प्रभावित करने वाले वैकल्पिक संरक्षण खोजे। | प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2745/12-1 दिनांक 30.11.2023 से अवगत कराया गया है कि वन भूमि प्रस्ताव में ली गयी मोटर मार्ग की चौड़ाई मानकानुसार है इससे कम चौड़ाई में मोटर मार्ग निर्माण किया जाना लोक निर्माण विभाग के मानकानुसार सम्भव नहीं है इसके अतिरिक्त सभी वैकल्पिक संरक्षण पर विचार कर लिया गया है परन्तु कोलाडुंग्री ग्राम हेतु प्रस्तावित संरक्षण ही तकनीकी एवं ग्रामीणों की सहमति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ है। अन्य विकल्प, जिनका उल्लेख पूर्व में प्रेषित विस्तृत औचित्य (संलग्न) में किया जा चुका है। या तो तकनीकी दृष्टि से अनुपयुक्त है अथवा ग्रामीणों की भूमि सम्बन्धी आपसी विवाद है। |

उक्त के अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग वहां के ग्रामीणों के जनहित में बनाया जाना अति आवश्यक है तथा प्रस्तावक विभाग अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गौचर द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रामीणों तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बार-बार विभाग से शीघ्र मोटर मार्ग निर्माण हेतु कहा जा रहा है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांक: 2745 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, नवम्बर 30 / 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,

विषय:-

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

संदर्भ:-

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि०मी० 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु चर्चा के सम्बन्ध में।(Online No- FP/UK/ROAD/146204/2021). भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 08वी/यू०सी०पी० /06/17/2022/एफ०सी०/1009 दिनांक 03.11.2023 .

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा मांगी गयी आख्या अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर चमोली की पत्र सं० 1841/1सर०(वन) दिनांक 29.11.2023 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है:-


| क्र०सं० | भारत सरकार द्वारा चाही सूचना | चाही गई आख्या |
|---------|--|--|
| 1. | प्रस्तावित मार्ग मात्र एक गांव को जोड़ रहा है जहां यातायात की मात्रा बहुत कम होगी, राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह मार्ग की चौड़ाई कम करते हुये कम वन क्षेत्र एवं वृक्षों को प्रभावित करने वाले वैकल्पिक संरेखण खोजे। | वन भूमि प्रस्ताव में ली गयी मोटर मार्ग की चौड़ाई मानकानुसार है इससे कम चौड़ाई में मोटर मार्ग निर्माण किया जाना लोक निर्माण विभाग के मानकानुसार सम्भव नहीं है इसके अतिरिक्त सभी वैकल्पिक संरेखण पर विचार कर लिया गया है परन्तु कोलाडुंग्री ग्राम हेतु प्रस्तावित संरेखण ही तकनीकी एवं ग्रामीणों की सहमति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ है। अन्य विकल्प, जिनका उल्लेख पूर्व में प्रेषित विस्तृत औचित्य (संलग्न) में किया जा चुका है। या तो तकनीकी दृष्टि से अनुपयुक्त है अथवा ग्रामीणों की भूमि सम्बन्धी आपसी विवाद है। |


महोदय उक्त मोटर मार्ग वहां के ग्रामीणों के जनहित में बनाया जाना अति आवश्यक है तथा प्रस्तावक विभाग अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गौचर द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रामीणों तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बार-बार विभाग से शीघ्र मोटर मार्ग निर्माण हेतु कहा जा रहा है। अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रकरण पर जनहित में आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरण की स्वीकृति हेतु पत्र को अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करे। ताकि प्रकरण में वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत हो सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पत्रांक:- 2745 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० वि० गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।


प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक- 184/1 सी० (वन)

दिनांक 29/11/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि०मी० ६ से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। (P.No- FP/UK/ROAD/146204/2021)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक संख्या ८वीं/यू०सी०पी०/०६/१७/२०२२/एफ०सी०/१००९ दिनांक ०३.११.२०२३

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि०मी० ६ से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा मार्ग की चौड़ाई कम करते हुये कम वन क्षेत्र एवं वृक्षों को प्रभावित काने वाले वैकल्पिक संरक्षण को खोजने हेतु निर्देशित किया गया है, जिस पर आख्या निम्नवत् है-

| आपत्ति | उत्तर/स्पष्टीकरण |
|--|--|
| प्रस्तावित मार्ग मात्र एक गाँव को जोड़ रहा है जहाँ यातायात की मात्रा बहुत कम होगी, राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह मार्ग की चौड़ाई कम करते हुये कम वन क्षेत्र एवं वृक्षों को प्रभावित करने वाले वैकल्पिक संरक्षण खोजें। | वनभूमि प्रस्ताव में ली गयी मोटर मार्ग की चौड़ाई मानकानुसार है। इससे कम चौड़ाई में मोटर मार्ग निर्माण किया जाना लोक निर्माण विभाग के मानकानुसार सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी वैकल्पिक संरक्षण पर विचार कर लिया गया है, परन्तु कोलाडुंग्री ग्राम हेतु प्रस्तावित संरक्षण ही तकनीकी एवं ग्रामीणों की सहमति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ है। अन्य विकल्प, जिनका उल्लेख पूर्व में प्रेषित विस्तृत औचित्य (संलग्न) में किया जा चुका है या तो तकनीकी दृष्टि से अनुपयुक्त है अथवा ग्रामीणों की भूमि सम्बंधी आपसी विवाद है। |

ग्रामीणों तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बार-बार विभाग से शीघ्र मोटर मार्ग निर्माण हेतु कहा जा रहा है। अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रकरण पर जनहित में आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरण की स्वीकृति हेतु पत्र को संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा किजियेगा।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

पत्रांक-

तददिनांक

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता प्रथम निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय
29/11/23
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)

20

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक- 1248 / 1 सी0 वन
सेवा में,

दिनांक 03/ 08/ 2023

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

विषय:-

Diversion of 0.860 ha of forest land for Construction of Sumalta to Koladungri Motor Road in Favor of PWD. Within the Jurisdiction of Badrinath Forest Division Gopeshwar, District- Chamoli, Uttarakhand. (Online No. FP/UK/ROAD/146204/2021)

सन्दर्भ:-
महोदय,

आपका पत्रांक संख्या 6485/12-1 दिनांक 17.06.2023 एवं 308/12-1 दिनांक 14.7.2023,
आनलगून डी.एम. 02.08.2023

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग से कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में दिनांक 29.5.2023 को हुयी एफ0आर0सी0एम0 की बैठक में चॉही गयी आख्या निम्नवत् है-

| क्र0स0 | प्रश्न | उत्तर |
|--------|---|--|
| 1 | <p>The proposal was discussed in detail with the project proponent and the concerned DFO, it was noted that the case was also discussed in the FRCM held on 25-11-2022 . Although a reply was submitted in this response, it appears that the proposal was not assessed according to the decision taken in the FRCM, During the meeting, the KML file was reviewed, and it was observed that the village is already near the existing road If, further connectivity to the village is still necessary, the State Government may propose a road from the northern side of the village, requiring lesser dense forest and affecting lesser number of tree. However, the user agency has provided a justification that the farmers are unwilling to give their land in that stretch, which could not be an acceptable justification for fragmenting the dense forest. After the discussion, it was decided that the State Government , if required may submit the revise proposal form northern side of the village as the proposed alignment is not found to be acceptable.</p> | <p>महोदय, आपके द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार लामान्वित होने वाले गाँव कोलाडुंग्री को उत्तर दिशा में स्थित कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऊपर स्थित मार्ग से उक्त गाँव को जोड़ने हेतु दो विकल्प हो सकते हैं-</p> <p>विकल्प 1-ग्राम विडोली से-पूर्व में इस गाँव से ग्राम कोलाडुंग्री को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग की स्वीकृति मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2480/2015 के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी, परन्तु ग्राम विडोली, जो कि पहले से ही कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग पर स्थित है द्वारा लम्बे समय तक घोर-विरोध के कारण उक्त मार्ग का निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ ही नहीं हो पाई। जिसके बाद क्षेत्रीय जनता के अनुरोध पर लामान्वित होने वाले गाँव कोलाडुंग्री को डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से जोड़ने हेतु फरवरी 2019 में स्वीकृति प्राप्त हुई। जिससे उक्त राजस्व ग्राम कोलाडुंग्री को मोटर मार्ग से समायोजित किया जा सके। अतः विडोली से लामान्वित होने वाले गाँव कोलाडुंग्री को मार्ग निर्माण करना सम्भव नहीं है।</p> <p>विकल्प 2- ग्राम फलोटा से- जैसा कि डिजिटल मैप आदि में देखा जा सकता है कि ग्राम फलोटा लामान्वित होने वाले गाँव कोलाडुंग्री के ठीक ऊपर स्थित है तथा उक्त भू-भाग का ढाल लगभग 45° है तथा यह ढाल भी बहुत कम चौड़ाई में है, जो गाँव कोलाडुंग्री के ऊपर अधिकतम है एवं ग्राम फलोटा तक चौड़ाई कम हो गयी है। उक्त भूभाग के दोनो ओर तीव्र ढाल वाले भू-भाग है। जिसमें मार्ग निर्माण करना ना तो आर्थिकी दृष्टि से ना ही पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त है। आपके सुझाव के अनुसार ऊपर से उक्त मार्ग के निर्माण पर कई हेयर पिन बैंड की आवश्यकता होगी, जिससे मार्ग को एक आर्म के ऊपर दूसरी आर्म बनने से इस मार्ग से दोनो गाँवों को सदैव खतरा बना रहेगा। अवगत कराना है कि यदि एच0पी0 बैंड की त्रिज्या मनकानुसार न्यूनतम 12 मी0 पर मार्ग निर्माण करते है तो प्रत्येक एच0पी0 बैंड पर कम से कम 31.5 मीटर भूभाग कटिंग के कारण प्रभावित होगा, जिसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में मलबा निकलेगा। जिसका एक नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा। अतिरिक्त ग्राम फलोटा वासी, जो कि कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग से पहले से जुड़े है, अपनी भूमि उक्त मार्ग के निर्माण में देने को तैयार भी नहीं है। (अनापत्ति संलग्न)</p> <p>अतः ग्राम फलोटा की ओर से मार्ग निर्माण करना सम्भव नहीं है।</p> |

निम्नलिखित कारणों से भी क्षेत्रवासी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित सरिखण पर ही स्वीकृति हेतु आग्रह कर रहे हैं-

1-लामान्वित होने वाला गाँव एक राजस्व ग्राम है, जो कि आतिथि तक मोटर मार्ग पहुँच से वंचित है।

2-ग्राम सना कोलाडुंग्री का जूनियर हाईस्कूल कोलाडुंग्री एवं प्राथमिक विद्यालय कोलाडुंग्री ग्राम सुमल्टा में स्थित है। उक्त स्वीकृत सरिखण पर मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम कोलाडुंग्री के बच्चों को उक्त स्कूल पहुँचने में सुविधा होगी। चूँकि स्थल को जोड़ जाना Obeliganatory Point है एवं आपके द्वारा सुझाये गये Alignment से स्कूल वंचित रह जायेगा।

3- लामान्वित गाँव का मुख्य बाजार सिमली है, जहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 गुजरता है। स्वीकृत सरिखण पर मार्ग का निर्माण होने से लामान्वित गाँव मात्र 8 कि०मी में राष्ट्रीय राजमार्ग से संयोजित हो जायेगा। जबकि कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग से उक्त मोटर मार्ग निर्माण से मुख्य बाजार कर्णप्रयाग की दूरी लगभग 17 कि०मी० एवं सिमली की दूरी 24 कि०मी० आयेगी।

4- लामान्वित ग्राम सना कोलाडुंग्री के अन्तर्गत ग्राम सुमल्टा एवं बांगडी आते हैं तथा चुनाव में मतदान स्थल का निर्माण लामान्वित ग्राम कोलाडुंग्री में किया जाता है। स्वीकृत सरिखण पर मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्राम सुमल्टा एवं ग्राम बांगडी के मतदाताओं विशेषकर वृद्ध एवं दिव्यांग जनो को मतदेय स्थल पर पहुँचने में सुविधा होगी।

5- लामान्वित गाँव कोलाडुंग्री में इस क्षेत्र का पोस्ट आफिस स्थित होने के कारण क्षेत्रीय जनता को स्वीकृत सरिखण पर मार्ग निर्माण से पोस्ट आफिस पहुँचने में सुविधा प्राप्त होगी।

6- कुल प्रभावित वृक्षों की संख्या 121 है जिसमें से 118 वृक्ष चीड़ के हैं तथा चीड़ के वृक्ष पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। इस मार्ग के निर्माण से किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण वन सम्पदा को नुकसान नहीं पहुँचेगा। स्वीकृत सरिखण पर हरियाली घनत्व मात्र 0.3 है। जिससे स्पष्ट है सरिखण घने वन से न गुजर कर एक विरल क्षेत्र गुजरता है। अतः स्वीकृत Alignment ही तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त है।

आपके पत्र संख्या 308/12-1 दिनांक 14.7.2023 द्वारा प्रस्तर 3 में सूचित किया गया है कि प्रस्तुत के०एम०एल० फाईल में गाँव को सड़क से जोड़ने हेतु जो सरिखण प्रस्तावित किया गया है, वह अभी भी गाँव को नहीं जोड़ रहा है के सम्बन्ध में अवगत करना है कि उक्त प्रस्तावित मार्ग को ग्रामीणों के आपत्ति के आधार पर सिंचित खेत से पहले रोक दिया गया है। (ग्रामीणों एवं सम्बन्धित कास्तकारों का आपत्ति पत्र संलग्न है) इस बिन्दु से गाँव के प्रारम्भिक भाग की दूरी लगभग 250 मीटर है तथा लगभग समान लेवल/समतल पर है जहाँ से लामान्वित गाँव कोलाडुंग्री को पहुँच सुलभ है एवं ग्रामीणों को उक्त मार्ग को प्रस्तावित सरिखण पर निर्माण करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अवगत कराना है कि उक्त गाँव को ऊपर स्थित कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग से जोड़ने के आप के सुझाव के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा ग्राम प्रधान कोलाडुंग्री को अनापत्ति पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। परन्तु सम्बन्धित ग्रामीणों द्वारा खुली बैठक आयोजित कर उक्त मार्ग का निर्माण प्रस्तावित सरिखण पर ही करने हेतु आग्रह किया गया है। अन्य किसी सरिखण पर क्षेत्रवासी सहमत नहीं है तथा प्रस्तावित सरिखण पर मार्ग निर्माण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि पूर्व में प्रस्तावित सरिखण पर ही वन भूमि स्वीकृति प्रदान करने हेतु पुनर्विचार करने की कृपा करें।
संलग्न- ग्रामीणों एवं सम्बन्धित कास्तकारों का आपत्ति पत्र।

मन्दीव
विशेषज्ञ अभियंता
निर्माण एवं संरक्षण विभाग
गाँव (बनोली)
2. 10.23

संज्ञा में,

के.आन. छाविणसी छाविणता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग

नियम:- कोटनाडुंगरी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में,

महोदय,


कोटनाडुंगरी डी.के. जनता छापरस पुनः निवेदन करता है कि मार्ग निर्माण सर्वे कार्य जो निर्माण द्वारा किया गया है कुल सम्बन्ध में हमारी पूर्ण सहमति है साथ ही जो सिविल भूमि व दूरी के सम्बन्ध में आने की जनता पूर्व पत्रों द्वारा आपका अग्रान करा गया

है।
अतः पुनः सार्वजनिक निर्माण विभाग को जनता निवेदन करता है कि सार्वजनिक मार्ग निर्माण सर्वे जो निर्माण द्वारा किया गया है उस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है साथ ही जो दूरी व सिविल भूमि का कुल लेख है के सम्बन्ध में निवेदन है कि कुल सर्वे स्थान में सम्बन्धों की सुविधा जनक पड़ता है अतः कुल स्थान से यदि निर्माण अग्रान मार्ग निर्माण चाहेगा तो इस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं होगी,

भवदीय

समस्त छेपवासी ग्रामकोटनाडुंगरी

मवं प्रधान



परिचालक अध्यक्षिका

महिला संसदन कोटनाडुंगरी सिविल मंत्रालय
कोटनाडुंगरी

- ① - (दातासिंह रावल)
जन. प्र. अध्यक्ष
- ② - वलवन्दी देवन - वलवन्दी
- ③ - जयप्रकाश प्रतापसिंह, (नामधर)

ॐ ॐ ॐ

- 1 - प्रेमसिंह लोपाल - P to all
- 2 - जीनेन्द्र लोपाल - ~~Pranav~~
- 3 - प्रभात रावल - प्रभात
- 4 - महिपाल - रावल - 193 Rawal
- 5 - भाजनन्द डिग्री - ~~भाजनन्द डिग्री~~
- 6 - राकेश - नन्द डिग्री - ~~राकेश~~
- 7 - जयवीर लोपाल - जयवीर डिग्री
- 8 - सुरेन्द्र लोपाल - ~~सुरेन्द्र~~
- 9 - प्रमोद रावल - ~~प्रमोद~~
- 10 - कामला देवी लोपाल - कामला देवी
- 11 - विभाला देवी लोपाल - ~~विभाला~~
- 12 - सुन्दर देवी थापनिपाल - अंतरा देवी
- 13 - सुभाषिणी देवी लोपाल - सुरनीला देवी
- 14 - सुमरती देवी लोपाल - ~~सुमरती~~
- 15 - दीपा देवी रावल - दीपा देवी
- 16 - रामेश्वरी देवी थापनिपाल - रामेश्वरी देवी
- 17 - अंजू देवी रावल - अंजू देवी
- 18 - दर्शन सिंह रावल - दर्शन सिंह
- 19 - कालीचन्दनम थापनिपाल - ~~कालीचन्दनम~~
- 20 - गजवीर सिंह रावल - ~~गजवीर~~
- 21 - शिशुपाल लोपाल - ~~शिशुपाल~~
- 22 - हुकमसिंह लोपाल - ~~हुकमसिंह~~

सिंहसिंह रावल

सिंहसिंह रावल
सिंहसिंह रावल
सिंहसिंह रावल